an>

Title: Regarding stopping of illegal liabilities put on the parents of private school.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, अप्रैल से स्कूल-कालेजों में नए सत्र की शुरूआत हुई तो नई कक्षाओं में प्रवेश हुए हैं। प्रवेश के समय अभिभावकों को पब्लिक स्कूलों द्वारा किस प्रकार लूटा जाता है, वह चिन्ता पैदा करने वाला है। पब्लिक स्कूलों में फीस की मनमानी के साथ ही अभिभावकों को स्कूलों की ओर से तय किए गए पुस्तक और ड्रैस विक्रेताओं से सामान खरीदने के लिए विवश किया जाता है। कितने ही स्कूलों के द्वारा अपनी कापियों के कवर पेज भी अलग डिजाइन कराकर एक ही दुकान से खरीदने की शर्त रख दी जाती है। इतना ही नहीं सी.बी.एस.ई. के स्कूल होने के बावजूद किताबों की संख्या और रेट में भारी अन्तर देखने को मिलता है। केन्द्रीय विद्यालय में जो किताबें 150 रुपये में मिल जाती हैं, वे इन स्कूलों में दो हजार रुपये तक में दी जाती हैं तथा इसके अलावा अन्य प्राइवेट किताबें खरीदने को भी मजबूर किया जाता है। पुस्तक विक्रेता किताबें लगवाने के लिए 30 से 40 प्रतिशत तक का कमीशन विद्यालयों को देते हैं। इस प्रकार कुछ विद्यालयों को केवल किताबों और कापियों के कमीशन से ही 20 लाख रुपये तक की अवैध आय हो जाती है। कमीशन का यह खेल यूनीफॉर्म में भी चलता है तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की प्रत्याशा में अभिभावक इस आर्थिक शोÂाण का शिकार होते रहते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि विद्यालयों में प्रतिवÂान चलने वाली इस लूट की जांच कराई जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार की लूट भविÂय में सम्भव न हो।